संख्या-1642/15(13)/91-4(211)/91

प्रेषक,

अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2/19 रूप विहार, अन्सारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा (13) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक : 31 अगस्त, 1991.

विषय:- बाल भारती पब्लिक स्कूल, ब्रिज विहार, गाजियाबाद को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल भारती पब्लिक स्कूल ब्रिज विहार, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु इस राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध :

(1) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(2) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी, पिछड़े एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(3) संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

(4) संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(5) राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

(6) विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा।

Principal
Bal Bharati Public School
Brij Vihar, Ghaziabad (U.P.)

(ख) विशेष प्रतिबन्ध :

(1) विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी ।

(3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुरूप सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(4) विद्यालय का लेखा जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्ध/शर्तों को सोसाइटी की नियमावली में स्पष्ट रूप से समाविष्ट किया जायेगा तथा उन शर्तों/प्रतिबन्धों को सोसाइटी की नियमावली में समाविष्ट किये जाने की सूचना तथा उसकी पुष्टि में संशोधित नियमावली की प्रति राज्य सरकार को इस आदेश के जारी होने के छः माह के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा । नियमावली के उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

ह०/अपठनीय
(अशोक गांगुली)
उप सचिव

<u>संख्या-1642(1)/15(13)/91 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा (मा0-2) अनुभाग, इलाहाबाद ।
(2) निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(3) प्रबन्धक, बाल भारती पब्लिक स्कूल ब्रिज विहार, गाजियाबाद ।
(4) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

Principal
Bal Bharati Public School
Brij Vihar, Ghaziabad (U.P.)